अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015

सं0 7/2015-सीमाशुल्क

सा0का0नि0.......(अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की धारा 116 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 2710 के अधीन आने वाले हाई स्पीड डीजल तेल को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त अधिनियम, 1999 की दूसरी अनुसूची के साथ पठित धारा 116 के अधीन उस पर उदग्रहणीय उतने अतिरिक्त सीमाशुल्क से, जितना छह रुपए प्रति लीटर की दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है ।

(फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू)

(अक्षय जोशी)

अवर सचिव, भारत सरकार